न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशवरायपाटन जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— दुर्गाशंकर मीना (RAS)

वादपत्र संख्या :— 182/2019

1. जुगलकिशोर मालव आयु 58 वर्ष आ0 श्री बाला जाति धाकड निवासी हरिपुरा उर्फ कालीतलाई तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी राज.
2. राजेन्द्र मालव आयु 25 वर्ष आ0 श्री जुगलकिशोर जाति धाकड निवासी हरिपुरा उर्फ कालीतलाई तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी राज.
3. रोहित कुमार मालव आयु 23 वर्ष आ0 श्री जुगलकिशोर जाति धाकड निवासी हरिपुरा उर्फ कालीतलाई तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी राज.
4. महेश मालव आयु 18 वर्ष आ0 श्री गुलाबचन्द जाति धाकड निवासी हरिपुरा उर्फ कालीतलाई तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी राज.

—वादीगण

बनाम

1. बाला आयु 77 वर्ष आ0 श्री देवा जाति धाकड निवासी हरिपुरा उर्फ कालीतलाई तहसील केशवरायपाटन जिला बून्दी राज.
2. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बडौदा शाखा झालीजी का बराना
3. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार केशवरायपाटन।

—प्रतिवादीगण

वाद :—अधिकार घोषणा, बंटवारा भूमि, स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88,89,53,188 राज0 टि0 एक्ट

उपस्थित :—

1. वादी की और से श्री उमाशंकर नागर एडवोकेट
2. प्रतिवादी की और से श्री महावीर शर्मा, एडवोकेट।

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned with CamScanner

—: निर्णय :—

दिनांक — 18.12.2019

1. वादी के द्वारा दिनांक 11.12.2019 को वाद अधिकार घोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया।
2. वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खाता सं. नई 137 की कृषि भूमि ख.सं. 609 रकबा 2.01 है0 किस्म नहरी प्रथम वाके ग्राम व माल हरिपुरा उर्फ कालीतलाई पटवार क्षेत्र नयागांव तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में विरिथत है। आराजी खाता संख्या नई 365 की कृषि भूमि ख.सं. 1212 रकबा 1.98 है0 किस्म नहरी प्रथम वाके ग्राम व माल झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में विरिथत है। मूल पुरूष देवा है जिनकी मृत्यु हो चुकी है जिनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 बाला है तथा प्रतिवादी संख्या 1 बाला के पुत्र वादी संख्या 1 जुगलकिशोर जीवित है एवं दुसरे पुत्र गुलाबचन्द की मृत्यु हो चुकी है जिसका पुत्र महेश मालव वादी संख्या 4 है एवं वादी संख्या 1 जुगलकिशोर के पुत्र राजेन्द्र मालव वादी सं. 2 व रोहित कुमार वादी सं. 3 है। वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 की पैतृक कृषि भूमि है जो पीढी दर पीढी चली आ रही है। जिसमें वर्तमान समय में प्रतिवादी सं. 1 का नाम दर्ज है। वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में वादी संख्या 1 लगायत 3 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा निहीत है और मौके पर उक्तानुसार ही काबिज काश्त है। वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि में वादी सं. 4 का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 का 1/2 हिस्सा निहीत है और उक्तानुसार ही काबिज काश्त है। उक्त वर्णित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि होने से वादीगणों को जन्म से ही अधिकार प्राप्त है कि उक्त आराजी में अपने हिस्से व कब्जे अनुसार विभाजन करा लेवे तथा तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में पृथक–पृथक अंकन करा लेवे। उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के खाते अंकित होने का नाजायज फायदा उठाकर हस्तान्तरण, रहन आदि करने पर आमादा है।
3. वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रति.सं. 1 ने इकबालिया जवाब पेश किया एवं वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ने आपसी सहमति का दिनांक 17.12.2019 को राजीनामा पेश किया।

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned with CamScanner

4. बहस उभय पक्ष सुनी गई। उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दि0 17.12.2019 को बाद जॉच तस्दीक किया गया। राजीनामा तथा इकबालिया जवाब के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

—::निर्णय::—

परिणामस्वरूप वादीगण का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। कृषि भूमि ख.सं. 609 रकबा 2.01 है0 वाके ग्राम हरिपुरा उर्फ कालीतलाई तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में स्थित कृषि भूमि में वादीगण सं. 1 लगायत 3 को बंटवारे एवं कब्जे काश्त में मिली कृषि भूमि के मुताबिक संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से की कृषि भूमि का सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड रहेगा। कृषि भूमि ख.सं. 1212 रकबा 1.98 है0 वाके ग्राम व माल झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी में स्थित कृषि भूमि में वादी सं. 4 को बंटवारा व कब्जे काश्त में मिली कृषि भूमि के मुताबिक 1/2 हिस्से की कृषि भूमि का सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 के नाम सहखातेदारी के रूप में दर्ज रिकार्ड रहेगा एवं बैंक रहन यथावत रहेगा। तहसीलदार के0 पाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी के० पाटन

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

Scanned with CamScanner

<u>डिकरी ब मुकदमे इब्तदाई</u>
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Prodeedure Code Appendix 'd'-1)

अज अदालत
उपखण्ड अधिकारी मुकाम के0पाटन

इजलास – दुर्गाशंकर मीना
आर.ए.एस.

जुगलकिशोर V/S बाला वगै0

<u>वाद– अधिकार घोषणा, बंटवारा भूमि, स्थायी निषेधाज्ञा</u>
<u>मुकदमा नम्बर :: 182/2019</u>

वादी की ओर से श्री उमाशंकर नागर अधिवक्ता व प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री महावीर शर्मा, अधिवक्ता की उपस्थिती में इस वाद में आज तारीख 18.12.2019 को हुक्म दिया जाता है व वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि–

"वादीगण का वादपत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। कृषि भूमि ख.सं. 609 रकबा 2.01 है0 वाके ग्राम हरिपुरा उर्फ कालीतलाई तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 में स्थित कृषि भूमि में वादीगण सं. 1 लगायत 3 को बंटवारे एवं कब्जे काश्त में मिली कृषि भूमि के मुताबिक संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से की कृषि भूमि का सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड रहेगा। कृषि भूमि ख.सं. 1212 रकबा 1.98 है0 वाके ग्राम व माल झालीजी का बराना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी में स्थित कृषि भूमि में वादी सं. 4 को बंटवारा व कब्जे काश्त में मिली कृषि भूमि के मुताबिक 1/2 हिस्से की कृषि भूमि का सहखातेदार घोषित किया जाता है तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 के नाम सहखातेदारी के रूप में दर्ज रिकार्ड रहेगा एवं बैंक रहन यथावत रहेगा। तहसीलदार के0 पाटन को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।"

नीज ....ग................. मुबलिक ....ग................. बाबत ....ग............. खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ....ग................. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलवादी तक ....ग................. को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज दिनांक 18.12.2019 को जारी की गई।

मोहर
उपखण्ड अधिकारी के0 पाटन

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन